बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–193/2016 /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0 प्र0 से0
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के अधीन छातापुर प्रखंड के गैरा नदी पर बलुआ से चैनपुर पथ में उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल निर्माण कार्य की लम्बाई 51.33 मी0 हेतु राशि रू0 326.47 लाख पॉच वर्षीय अनुरक्षण सहित (तीन करोड़ छब्बीस लाख सैतालिस हजार रूपये)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबध में।

महाशय,

निदशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय– 103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य के **सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के अधीन छातापुर प्रखंड के गैरा नदी पर बलुआ से चैनपुर पथ में उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल निर्माण कार्य की लम्बाई 51.33 मी0 हेतु राशि रू0 326.47 लाख पॉच वर्षीय अनुरक्षण सहित (तीन करोड़ छब्बीस लाख सैतालिस हजार रूपये)** मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– P4515001030105 एवं स्कीम कोड– 5369 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 454.**31** करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज द्वारा संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, मधेपुरा एवं मुख्य अभियंता–2, पटना ग्रामीण कार्य विभाग को MIS के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगें।
7. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–193/2016 के पृ0 सं0–02/टि0 पर दिनांक 18.11.16 को किया गया।
8. इस योजना की स्वीकृति विभागीय स्थायी वित समिति के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या– सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–193/2016 में दिनांक 07.12.16 को संचिका के पृ0 06/टि0 पर प्राप्त है।

9. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–193/2016 के पृष्ठ संख्या–8/टि0 पर दिनांक– 15.12.16 को प्राप्त है।
11. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
12. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
13. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
14. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–193/2016 / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–193/2016 5166 / पटना, दिनांक 22/12/16

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास, आयुक्त सुपौल/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता–2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0–4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव